रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237263
CG-DL-E-12072022-237263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944
No. 500]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई,2022

सं. 59/2022-सीमाशुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 540(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 109 क के साथ पठित धारा 157 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को नियंत्रित सुपुर्दगी (सीमाशुल्क) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) है;

(ख) "फॉर्म" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ा कोई फॉर्म है;

(ग) "माल" में एक या एक से अधिक प्रकार के निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं जो एक खेप में निहित हैं, चाहे उनकी प्रकृति, मात्रा या विवरण सही ढंग से घोषित अन्यथा न हो, यथा:-

(i) स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, पूर्वगामी रसायन, नियंत्रित पदार्थ या उनके प्रतिस्थापन;

(ii) आभूषण सहित सभी रूपों में सोना;

(iii) आभूषण सहित सभी रूपों में चांदी;

(iv) कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर;

(v) शराब और अन्य मादक पेय;

(vi) मुद्रा और परक्राम्य लिखत नकली समेत;

(vii) सिगरेट, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद;

(viii) वन्यजीव उत्पाद; तथा

(ix) प्राचीन वस्तुएँ और पुरावशेष;

(घ) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" का अर्थ है राजस्व आसूचना महानिदेशालय के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक है;

(ङ) "संदिग्ध खेप" का अर्थ है किसी यात्री के सामान सहित उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल की खेप से है जो मौजूदा समय में लागू अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है और जिसके संबंध में इन नियमों के तहत नियंत्रित सुपुर्दगी की जा रही है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, और जो यहां परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. नियंत्रित सुपुर्दगी करने का प्रकार- अधिनियम की धारा 109क के अधीन नियंत्रित सुपुर्दगी करने के उद्देश्य के लिए-

(1) उचित अधिकारी जिसे यह विश्वास है कि किसी संदिग्ध खेप, सामान के रूप में या अन्यथा भारत में आयात या निर्यात किया जा रहा है, ऐसे खेप की नियंत्रित सुपुर्दगी करने का प्रस्ताव करते हुए फॉर्म-I में एक रिपोर्ट दर्ज करेगा और उचित अधिकारी द्वारा इस प्रकार दायर की गई रिपोर्ट को इस तरह के नियंत्रित सुपुर्दगी के अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी पूरी तरह विचार के बाद संदिग्ध माल की नियंत्रित सुपुर्दगी को मंजूरी दे सकता है और उचित अधिकारी को इस तरह की नियंत्रित सुपुर्दगी करने के लिए अधिकृत कर सकता है:

बशर्ते कि किसी विदेशी देश को नियंत्रित सुपुर्दगी के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश के सक्षम प्राधिकारी, जहां ऐसी खेप की नियति है, के परामर्श से अधिनियम की धारा 109क के उपखंड (ख) के तहत नियंत्रित वितरण को मंजूरी देगा।

(3) नियंत्रित सुपुर्दगी करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने पर, उचित अधिकारी, यदि आवश्यक हो, संदिग्ध खेप के नियंत्रित सुपुर्दगी प्रचालन के दौरान ट्रैक-एंड-ट्रेस निगरानी के लिए उपकरणों सहित, जहां तक संभव हो उक्त खेप की प्रकृति को प्रभावित या छेड़छाड़ किए बिना कोई भी चिह्न लगा सकता है या कोई विशेष जांच उपकरण स्थापित कर सकता है।

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी, संदिग्ध खेप के नियंत्रित सुपुर्दगी को मंजूरी देते समय, फॉर्म-II में किसी सामान्य प्राधिकृति भी जारी कर सकता है, जिसे, मांग पर, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या एक विदेशी देश, जैसा भी मामला हो, के नियंत्रण के तहत कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि ऐसा अन्य प्रवर्तन प्राधिकारी उस समय लागू किसी भी कानून के उल्लंघन के कारण संदिग्ध माल का कब्जा लेता है:

बशर्ते कि निर्दिष्ट अधिकारी ऐसे प्राधिकरण को किसी अन्य रूप में जारी कर सकता है जैसा कि किसी विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिसमें संदिग्ध माल की नियति है।

(5) उचित अधिकारी किसी ऐसे समय और स्थान पर नियंत्रित सुपुर्दगी को पूरा कर सकता है, जहां ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान करता है जिसे उचित रूप से माना जाता है कि वह किसी अपराध या संदिग्ध खेप से संबंधित उल्लंघन में शामिल है।

(6) उचित अधिकारी किसी भी समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से नियंत्रित सुपुर्दगी को समाप्त कर सकता है, उन मामलों में जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उचित अधिकारी के स्वयं या पंच या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरे की संभावना है:

बशर्ते कि जब किसी विदेशी देश को नियंत्रित सुपुर्दगी किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी, जहां संदिग्ध माल भेजा गया है, के साथ उचित परामर्श के बाद ऐसी मंजूरी देगा:

बशर्ते यह भी कि जहां नियंत्रित सुपुर्दगी को समाप्त करने से पहले ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वहां अनुमोदन तुरंत बाद में प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु उक्त नियंत्रित सुपुर्दगी को समाप्त करने के बहत्तर घंटे के बाद नहीं किया जा सकेगा।

(7) एक विदेशी देश के लिए नियत एक संदिग्ध खेप के संबंध में किए गए नियंत्रित सुपुर्दगी के मामले में, निम्नलिखित को नियंत्रित सुपुर्दगी माना जाएगा-

(क) उप-विनियम (5) के तहत समापन किया गया हो; या

(ख) उप-विनियम (6) के तहत समाप्त किया गया हो,

उस समय और स्थान पर, जहां से संदिग्ध माल सीमाशुल्क क्षेत्र या सीमाशुल्क बंदरगाह या सीमाशुल्क हवाई अड्डे या भारत में एक भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से विदेशी गंतव्य के लिए बाहर निकलता है:

बशर्ते कि जहां नियंत्रित सुपुर्दगी को उसके पूरा होने से पहले समाप्त कर दिया जाता है, वहां उचित अधिकारी संदिग्ध खेप के संबंध में ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगा जैसा कि सामान्य तौर पर आवश्यक होता यदि उक्त संदिग्ध खेप पर ये विनियम लागू न होते।

(8) नियंत्रित सुपुर्दगी के पूरा होने या समाप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, उचित अधिकारी उस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9) जहां संदिग्ध माल एक विदेशी देश के लिए नियत है, निर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-विनियम (8) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ऐसे विदेशी देश के सक्षम प्राधिकारी को इस तरह के समापन या समाप्ति के बारे में सूचित करेगा, जो भी मामला हो।

4. अन्य अधिकारियों पर प्रायोज्यता- इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट नियंत्रित सुपुर्दगी करने का तरीका आवश्यक परिवर्तनों के साथ अधिनियम की धारा 109क के तहत उचित अधिकारी द्वारा इस तरह की नियंत्रित सुपुर्दगी करने के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी पर भी लागू होंगे।

फार्म-I

[विनियम 3 (1) देखें]

नियंत्रित सुपुर्दगी (सीमाशुल्क) विनियम, 2022 के तहत नियंत्रित सुपुर्दगी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट

क्र.सं.	**सूचना क्षेत्र**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	आयातक/निर्यातक/प्रेषिती/यात्री का नाम	
2.	आईईसी/जीएसटीएन/पासपोर्ट सं.	
3.	(क) बिल ऑफ एंट्री सं/शिपिंग बिल सं/बैगेज घोषणा सं.	
	(ख) लदान बिल/एयरवे बिल/ई-वे बिल	
	(ग) आईजीएम/ईजीएम विवरण	
	(घ) उड़ान/जहाज/वाहन का विवरण	
	(ङ) पैकेजिंग की प्रकृति/पैकेज विवरण और अंक और संख्या और सकल भार/शुद्ध भार	
4.	आगमन/प्रस्थान के बंदरगाह के साथ बंदरगाह कोड/आयात/निर्यात का बंदरगाह	
5.	संदिग्ध खेप की उतराई/लदान का बंदरगाह	
6.	संदिग्ध खेप की घोषित सामग्री	
7.	(क) नियंत्रित सुपुर्दगी के लिए अनुरोध करने वाले विदेशी सीमाशुल्क प्रशासन/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम	
	(ख) क्या उन्होंने इस तरह के संचालन में अपने अधिकारी (अधिकारियों) के सहयोग के लिए अनुरोध किया है (हां/नहीं)	
	(ग) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण	
8.	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत किए गए या किए जाने की संभावना वाले अपराध या उल्लंघन का विवरण	
9.	नियंत्रित सुपुर्दगी करने वाले अधिकारी का नाम	
10.	प्रस्तावित कार्रवाई	

अधिकारी का नाम

दिनांक:

स्थान: **पदनाम**

फार्म-II

[विनियम 3 (4) देखें]

राजस्व आसूचना महानिदेशालय के प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, _________ का कार्यालय

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 109क के तहत नियंत्रित सुपुर्दगी के लिए प्राधिकरण

जिस किसी से भी यह संबंधित हो

माल की एक संदिग्ध खेप __________________ सीमाशुल्क बंदरगाह/हवाई अड्डे/भूमि सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुंची/के लिए निर्धारित है, जो बिल ऑफ एंट्री संख्या/शिपिंग बिल संख्या/बैगेज घोषणा संख्या ________________ के तहत आती है, जिसमें ई-वे बिल संख्या/लदान बिल संख्या/एयरवे बिल संख्या _____________है, जिसे वाहन/पोत/विमान में कंटेनर संख्या/पैकेज संख्या ________________ में ले जाया जा रहा है, जिसकी पंजीकरण संख्या ____________ के साथ जहाज का नाम/यात्रा संख्या/उड़ान संख्या ________________________ है या व्यक्तिगत रूप से/या श्री/श्रीमती/सुश्री_____________ के नाम पर ले जाया जा रहा है, नियंत्रित सुपुर्दगी (सीमाशुल्क) विनियम, 2022 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 109क के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जा रही है, अधिसूचना संख्या 59/2022 -सीमाशुल्क (एन. टी.) दिनांक 12 जुलाई, 2022 (**फा.सं. CBIC-50394/34/2021-INV-CUSTOMS-CBEC**) के तहत जारी किया गया। संदिग्ध खेप को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या किसी विदेशी देश या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी, जो उन लोगों की तुलना में इस संबंध में उचित अधिकारी द्वारा अधिदेशित किया जाता है के अतिरिक्त, के नियंत्रण में कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नहीं रोका जाएगा। नियंत्रित सुपुर्दगी संचालन करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल फोन नीचे दिया गया है और हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित हैं।

(श्री/श्रीमती/सुश्री _________________)

प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक,

राजस्व आसूचना महानिदेशालय,____________

दिनांक:______________

अधिकारी का नाम:____________________

पदनाम: ___________________________

दूरभाष:____________________________

हस्ताक्षर: ____________और____________

(श्री/श्रीमती/सुश्री _________________)

प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक,

राजस्व आसूचना महानिदेशालय,____________

दिनांक:______________

[फा. सं. CBIC-50394/34/2021-INV-CUSTOMS-CBEC]

डॉ. राज़ी एन.एस., अवर सचिव (तस्करी-रोधी इकाई)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

No. 59/2022-Customs (N.T.)

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 157 read with section 109A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short Title and commencement.- (1) These regulations may be called the Controlled Delivery (Customs) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.**-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "FORM" means a form annexed to these regulations;

(c) "goods" includes one or more of the following kind of substances contained in a consignment whether their nature, quantity or description is correctly declared or not, namely:-

(i) narcotic drugs, psychotropic substances, precursor chemicals, controlled substances or their substituents;

(ii) gold in all forms, including its jewellery;

(iii) silver in all forms, including its jewellery;

(iv) precious and semi- precious stones;

(v) liquor and other intoxicating drinks;

(vi) currency and negotiable instruments including counterfeits;

(vii) cigarettes, tobacco and tobacco products;

(viii) wildlife products; and

(ix) antiques and antiquities;

(d) "specified authority" means the Principal Additional Director General or Additional Director General of the Directorate General of Revenue Intelligence;

(e) "suspect consignment" means the consignment of the goods referred to in clause (c) including the baggage of a passenger which is liable to confiscation under the Act or any other law for the time being in force and in respect of which controlled delivery is being undertaken under these regulations.

(2) Words and expressions used in these regulations, and not defined herein, but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Manner to undertake controlled delivery.- For the purposes of undertaking controlled delivery under section 109A of the Act, -

(1) The proper officer having a reasonable belief, that a suspect consignment, is being imported into or exported out of India, in the form of the baggage or otherwise, shall file a report in FORM-I proposing to undertake controlled delivery of such consignment and the report so-filed by the proper officer, shall be put up before the specified authority for approval of undertaking such controlled delivery.

(2) The specified authority after due consideration may approve the controlled delivery of the suspect consignment and authorise the proper officer to undertake such controlled delivery:

Provided that in case of controlled delivery to a foreign country, the specified authority shall approve the controlled delivery under clause (b) of section 109A of the Act in consultation with the competent authority of such country to which such consignment is destined.

(3) Upon receiving the approval of the specified authority to undertake controlled delivery, the proper officer may, if required, affix any mark or install any special investigative tools, including devices for track-and-trace monitoring of the suspect consignment, during the course of controlled delivery operation, without impacting or tampering with the nature of the said consignment as far as possible.

(4) The specified authority, while approving the controlled delivery of the suspect consignment, may also issue a general authorisation in FORM-II, which may be presented to any other enforcement authority established by law for the time being in force, under the control of the Government of India or any State Government or Union territory or a foreign country, as the case may be, on demand, in case such other enforcement authority intends to take possession of the suspect consignment, due to infringement of any law for the time being in force:

Provided that the specified officer may issue such authorisation in any other form as may be laid down by the competent authority of a foreign country to which suspect consignment is destined.

(5) The proper officer may complete the controlled delivery at a time and place, where such officer identifies the person reasonably believed to be involved in the commission of an offence or contravention related to the suspect consignment.

(6) The proper officer may terminate the controlled delivery at any time, with the approval of the specified authority, in those cases where the proper officer has reasons to believe that there is a likelihood of a grave and imminent threat to the life of the proper officer herself/himself or the *panchas* or any other person:

Provided that when controlled delivery to a foreign country is undertaken, the specified authority shall give such approval after due consultation with the competent authority of such foreign country to which suspect consignment is destined:

Provided further that where such approval cannot be obtained prior to terminating the controlled delivery, the approval may be obtained immediately afterwards, but not later than seventy-two hours of terminating the said controlled delivery.

(7) In case of the controlled delivery undertaken in respect of a suspect consignment destined to a foreign country, the controlled delivery shall be deemed to be,-

(a) completed under sub-regulation (5); or

(b) terminated under sub-regulation (6),

at the time and the place, wherefrom the suspect consignment moves out of the customs area or the customs port or the customs airport or a land customs station in India, for a foreign destination:

Provided that where the controlled delivery is terminated before its completion, the proper officer shall take such necessary action in regard to the suspect consignment as would have warranted in normal course had these regulations not been applied to the said suspect consignment.

(8) Upon completion or termination of the controlled delivery, as the case may be, the proper officer shall submit a report to the specified authority in that regard.

(9) Where the suspect consignment is destined to a foreign country, the specified authority shall, upon receipt of the report under sub-regulation (8), inform, the competent authority of such foreign country, of such completion or termination, as the case may be.

4. Application to other officers.- The manner to undertake controlled delivery specified under these regulations shall *mutatis mutandis* be applicable to any other officer authorised by the proper officer under section 109A of the Act for undertaking such controlled delivery.

FORM-I

[See regulation 3 (1)]

REPORT FOR OBTAINING APPROVAL OF THE COMPETENT AUTHORITY FOR UNDERTAKING CONTROLLED DELIVERY UNDER THE CONTROLLED DELIVERY (CUSTOMS) REGULATIONS, 2022

S.No.	Information Fields	Particulars
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Name of Importer/ Exporter/Consignee/ Passenger	
2.	IEC/GSTN/Passport No.	
3.	(a) Bill of Entry No./ Shipping Bill No./Baggage Declaration No.	
	(b) Bill of Lading/ Airway Bill/E-way bill	
	(c) IGM/EGM details	
	(d) Flight/Ship/ Vehicle details	
	(e) Nature of Packaging/ Package details and Marks and Nos. and Gross Weight/ Net Weight	
4.	Port of Import/ Export along with Port Code/Port of Arrival/Departure	
5.	Port of unloading/ loading of the suspect consignment	
6.	Declared Contents of the suspect consignment	
7.	(a) Name of Foreign Customs Administration/ International Organisation making the request for Controlled Delivery	
	(b) Whether they have requested for association of their officer(s) with such Operation (Yes/ No)	
	(c) Any other relevant details	
8.	Details of offence or contravention that appear to have been committed or likely to be committed under the Customs Act, 1962	
9.	Name of officer undertaking the controlled delivery	
10.	Proposed action	

Name of the officer

Date:

Place: **Designation**

FORM-II

[See regulation 3 (4)]

OFFICE OF THE PRINCIPAL ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL/ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF DIRECTORATE GENERAL OF REVENUE INTELLIGENCE, ________________

AUTHORISATION FOR CONTROLLED DELIVERY UNDER SECTION 109A OF THE CUSTOMS ACT, 1962

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

A suspect consignment of goods arrived at/ destined for __________________ Customs Port/ Airport/ Land Customs Station, covered under Bill of Entry No./ Shipping Bill No./Baggage Declaration No. ________________, having E-way bill No./Bill of Lading No./ Airway Bill No.______________, being transported in Container No./Package No. ________________________ in Vehicle/Vessel/ Aircraft, bearing Registration No. ___________________________ having Vessel Name/ Voyage Number/Flight Number _________________________________ or being carried in-person by/ or on the person of Shri/Smt./Ms._____________________ is being allowed as per the provisions of section 109A of the Customs Act,1962, read with the Controlled Delivery (Customs) Regulations, 2022, issued vide notification no. 59/2022-Customs (N.T.) dated 12.07.2022 (**F.No. CBIC-50394/34/2021-INV-CUSTOMS-CBEC**). The suspect consignment shall not be intercepted by any other enforcement agency established by law for the time being in force under the control of the Government of India or any State Government or Union territory or a foreign country or any other officer of Customs, than those who are mandated by the proper officer in this regard. The name, designation, mobile phone of the officer undertaking the controlled delivery operation is given hereunder and signatures are attested below.

(Shri/Smt./Ms. _________________)

Principal Additional Director General/Additional Director General,

Directorate General of Revenue Intelligence,____________

Date:______________

Name of the officer:____________________

Designation:__________________________

Mobile:______________________________

Signature: ____________and_____________

(Shri/Smt./Ms. _________________)

Principal Additional Director General/Additional Director General,

Directorate General of Revenue Intelligence,____________

Date:______________

[F. No. CBIC-50394/34/2021-INV-CUSTOMS-CBEC]

Dr. RAJI N.S., Under Secy. (Anti-Smuggling Unit)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM